जीसीएमएस नं. 2015/00105

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 56/2015

1. प्रमोद बेदी पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति बेदी निवासी 67 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सुनीता पत्नी ओमप्रकाश जाति सहगल निवासी मकान नम्बर 1390 सैक्टर नम्बर 15 फरीदाबाद (हरियाणा)
2. बबीता पत्नी डॉक्टर अजय वर्मा निवासी मकान नम्बर 994 सैक्टर नम्बर 7 सी फरीदाबाद (हरियाणा)
3. बृजमोहन पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह जाति बेदी निवासी मकान नम्बर 1147 वार्ड नम्बर 12, पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. भावना पुत्री इन्द्रजीत पत्नी प्रमोद गिल्होत्रा निवासी सी–341 मालवीय नगर जयपुर।
5. अन्जू बेदी पत्नी सुशील बेदी जाति बेदी निवासी 15 ऑफिसर कॉलोनी, तीन पुली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. करण बेदी पुत्र सुशील बेदी जाति बेदी निवासी 15 ऑफिसर कॉलोनी, तीन पुली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. रिंकल पुत्री सुशील बेदी जाति बेदी निवासी 15 ऑफिसर कॉलोनी, तीन पुली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. श्वेता पुत्री सुशील बेदी जाति बेदी निवासी 15 ऑफिसर कॉलोनी, तीन पुली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर प्रकरण संख्या 03/15 प्रार्थना पत्र सुनीता बनाम सरकार दिनांक 29.07.2015 जिसकी रूह से एक पक्षीय रूप से बिना कानूनी प्रक्रिया के विधि शून्य वसीयतनामा दिनांक 12.11.2013 के आधार पर खातेदारी प्रदान की गई –मन्सुखी बाबत्।

उपस्थित :

1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5 से 8 अनुपस्थित एक्स पार्टी

:: आदेश ::

दिनांक: 29.05.2026

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि:–

1. यह कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से, प्राकृतिक न्यायों के सिद्धांतों एवं विधि विरूद्ध पारित किया गया है। नकल प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2015 को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेण्ट के पिता ने दिनांक 12.11.2013 को एक पंजीबद्ध वसीयत सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद के समक्ष

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निष्पादित की थी। रेस्पोडेन्ट के पिता इन्द्रजीत सिंह का दिनांक 20.02.2015 को स्वर्गवास हो गया है, इसलिए प्रार्थीयान के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया की पालना किये एकपक्षीय रूप से नामान्तरण खोलने के आदेश पारित किया जो निरस्ती योग्य है।

3. यह कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व कानून के आज्ञाप्क प्रावधानों की कतई पालना नहीं की। मृतक खातेदार के समस्त वारिसों को कोई ना तो सूचना पत्र अखबार के माध्यम से जारी किया गया और ना ही नोटिस जारी किये गये। अपीलाण्ट एवंम रेस्पोडेन्टस सभी मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है इसलिए अपीलधीन आदेश निरस्ती योग्य है।

4. यह कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित के रोज सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष उक्त आराजी के सम्बन्ध में अनवानी प्रमोद कुमार बनाम सुशील बेदी वाद संख्या 33/2015 विचाराधीन था तथा जिसमें सभी रेस्पोडेण्ट बतौर प्रतिवादी हाजिर थे। उक्त नियमित वाद पत्र में वसीयतनामा दिनांक 12.11.2013 की वैधता की जांच विचाराधीन थी। वादपत्र के साथ दिनांक 10.04.2015 को रिकॉर्ड एवंम मौका की यथास्थिति का स्थगन आदेश भी प्रभावी था जो दिनांक 21.07.2015 को निरस्त किया, किन्तु माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पुनः स्थगन आदेश जारी कर दिया जिसमें आईन्दा पेशी 04.09.2015 है। इन समस्त तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने विधि विरूद्ध आदेश पारित करवाया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि मूल वाद पत्र संख्या 33/2005 में वसीयतानामा की वैधानिकता (Ligality) की जांच विचाराधीन थी किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया जो कि निरस्ती योग्य है।

6. यह कि वसीयतनामा प्रथमदृष्टया शून्य, विधि शून्य एवंम प्रभावहीन दस्तावेज है चूंकि राजस्थान प्रान्त की आराजी का पंजीयन फरीदाबाद (हरियाणा) में प्राथमिक रूप से सन्देह उत्पन्न करता है। वसीयतनामा पर किसी गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है। वसीयतनामा स्वस्थचित नहीं था सम्पूर्ण आराजी की वसीयत करने में सक्षम नहीं था इत्यादि। इस प्रकार वसीयतनामा दिनांक 12.11.2013 पर आक्षेप करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया।

अतः अपील प्रस्तुत करके निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2015 को निरस्त फरमाया जावें तो जनबा की मेहरबानी होगी।

अपील पेश होने पर दर्ज की गई। रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 03, 05 ता 08 तामिल होने के बावजूद आदिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेंट संख्या 03, 05 ता 08 को बार–बार रूक–रूक कर अलग–अलग समय पर आवाजे लगाई गई, परंतु रेस्पो. 03, 05 ता 08 उपस्थित नहीं।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2015 को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेण्ट के पिता ने दिनांक 12.11.2013 को एक पंजीवद्ध वसीयत सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद के समक्ष निष्पादित की थी। रेस्पोडेन्ट के पिता इन्द्रजीत सिंह का दिनांक 20.02.2015 को स्वर्गवास हो गया है, इसलिए प्रार्थीयान के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया की पालना किये एकपक्षीय रूप से नामान्तरण खोलने के आदेश पारित किया जो निरस्ती योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व कानून के आज्ञाप्क प्रावधानों की कतई पालना नहीं की। मृतक खातेदार के समस्त वारिसों को कोई ना तो सूचना पत्र अखबार के माध्यम से जारी किया गया और ना ही नोटिस जारी किये गये। अपीलाण्ट एवंम रेस्पोडेन्टस सभी मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अपीलाधीन आदेश पारित के रोज सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष उक्त आराजी के सम्बन्ध में अनवानी प्रमोद कुमार बनाम सुशील बेदी वाद संख्या 33/2015 विचाराधीन था , जिसमें सभी रेस्पोडेण्ट बतौर प्रतिवादी हाजिर थे। उक्त नियमित वाद पत्र में वसीयतनामा दिनांक 12.11.2013 की वैधता की जांच विचाराधीन थी। वादपत्र के साथ दिनांक 10.04.2015 को रिकॉर्ड एवंम मौका की यथास्थिति का स्थगन आदेश भी प्रभावी था जो दिनांक 21.07.2015 को निरस्त किया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पुनः स्थगन आदेश जारी कर दिया जिसमें आईन्दा पेशी 04.09.2015 है। मूल वाद पत्र संख्या 33/2005 में वसीयतानामा की वैधानिकता (Ligality) की जांच विचाराधीन थी किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया जो कि निरस्ती योग्य है। वसीयतनामा प्रथमदृष्टया शून्य, विधि शून्य एवंम प्रभावहीन दस्तावेज है, चूंकि राजस्थान प्रान्त की आराजी का पंजीयन फरीदाबाद (हरियाणा) में प्राथमिक रूप से सन्देह उत्पन्न करता है। वसीयतनामा पर किसी गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है। वसीयतनामा स्वस्थचित नहीं था सम्पूर्ण आराजी की वसीयत करने में सक्षम नहीं था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 03/15 प्रार्थना पत्र सुनीता बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के समस्त वारिसों को कोई ना तो सूचना पत्र अखबार के माध्यम से जारी किया गया और ना ही नोटिस जारी किये गये। अपीलाण्ट एवंम रेस्पोडेन्टस सभी मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है एवंम अपीलाधीन आदेश पारित के रोज सक्षम

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष उक्त आराजी के सम्बन्ध में अनवानी प्रमोद कुमार बनाम सुशील बेदी वाद संख्या 33/2015 विचाराधीन था, जिसमें सभी रेस्पोडेण्ट बतौर प्रतिवादी हाजिर थे। उक्त नियमित वाद पत्र में वसीयतनामा दिनांक 12.11.2013 की वैधता की जांच विचाराधीन थी। वादपत्र के साथ दिनांक 10.04.2015 को रिकॉर्ड एवंम मौका की यथास्थिति का स्थगन आदेश भी प्रभावी था जो दिनांक 21.07.2015 को निरस्त किया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पुनः स्थगन आदेश जारी कर दिया जिसमें आईन्दा पेशी 04.09.2015 रखी हुई थी। अधिवक्ता अपीलांट के यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपीलांट प्रमोद बेदी अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना गया है, जहां तक स्थगन आदेश का हवाला दिया गया है। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 24.07.2025 को निरस्त इस आधार पर किया गया है कि **"प्रार्थी प्रमोद बेदी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है और अप्रार्थीगण (बबीता गौड़) के हक में पंजीकृत वसीयत है अगर वसीयत फर्जी व कूटरचित है तो उन्हे सीविल न्यायालय में वसीयत को मन्सुख करवाया जाना चाहिए। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है और सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष में नही है। कब्जा नहीं होने के कारण किसी प्रकार से अपूर्णीय क्षति भी कारित नहीं होती है। मूल वाद में जवाब आने के पश्चात तनकीयात कायम किये जाने पर साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तैय किया जायेगा। अतः पूर्व में आदेश दिनांक 10.04.2015 से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"** अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर निर्णय दिनांक 29.07.2015 पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट (बबीता गौड़) के हक में पंजीकृत वसीयत है अगर वसीयत फर्जी व कूटरचित है तो अपीलांट को सीविल न्यायालय में वसीयत को कैन्सिल करवाने का दावा किया जाना चाहिए था जो अपीलांट द्वारा किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर प्रकरण संख्या 03/15 प्रार्थना पत्र सुनीता बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.07.2015 जो पारित किया गया है वह विधिसम्मत् एवं न्यायसंगत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2015 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष उक्त आराजी के सम्बन्ध में अनवानी प्रमोद कुमार बनाम सुशील बेदी वाद संख्या 33/2015 विचाराधीन था, जिसमें सभी रेस्पोडेण्ट बतौर प्रतिवादी हाजिर थे। उक्त नियमित वाद पत्र में वसीयतनामा दिनांक 12.11.2013 की वैधता की जांच विचाराधीन थी। वादपत्र के साथ दिनांक 10.04.2015 को रिकॉर्ड एवंम मौका की यथास्थिति का स्थगन आदेश भी प्रभावी था जो दिनांक 21.07.2015 को निरस्त किया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पुनः स्थगन आदेश जारी कर दिया जिसमें आईन्दा पेशी 04.09.2015 रखी हुई थी। अधिवक्ता अपीलांट के यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपीलांट प्रमोद बेदी अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना गया है, जहां तक स्थगन आदेश का हवाला दिया गया है। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 24.07.2025 को निरस्त इस आधार पर किया गया है कि **"प्रार्थी प्रमोद बेदी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है और अप्रार्थीगण (बबीता गौड़) के हक में पंजीकृत वसीयत है अगर वसीयत फर्जी व कूटरचित है तो उन्हे सीविल न्यायालय में वसीयत को मन्सुख करवाया जाना चाहिए। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है और सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष में नही है। कब्जा नहीं होने के कारण किसी प्रकार से अपूर्णीय क्षति भी कारित नहीं होती है। मूल वाद में जवाब आने के पश्चात तनकीयात कायम किये जाने पर साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तैय किया जायेगा। अतः पूर्व में आदेश दिनांक 10.04.2015 से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"** अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर निर्णय दिनांक 29.07.2015 पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट (बबीता गौड़) के हक में पंजीकृत वसीयत है अगर वसीयत फर्जी व कूटरचित है तो अपीलांट को सीविल न्यायालय में वसीयत को कैन्सिल करवाने का दावा किया जाना चाहिए था जो अपीलांट द्वारा किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर प्रकरण संख्या 03/15 प्रार्थना पत्र सुनीता बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.07.2015 जो पारित किया गया है वह विधिसम्मत् एवं न्यायसंगत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2015 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner